13/11.2018

संख्याः–07 / (वि.आ.निदे.) / XXVII(1) / 2017

प्रेषक,

एल.एन. पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 **देहरादूनः: दिनांकः 22 जनवरी, 2018**

विषयः– **ग्राम पंचयतों में "कम्प्यूट्रीकरण की योजना" हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्य सहायक अनुदान के अन्तर्गत ई–पंचायत लागू करने हेतु "ग्राम पंचायतों की कम्प्यूट्रीकरण योजना" के प्रथम चरण हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारित **₹65400000.00 (₹छः करोड़ चौवन लाख मात्र) की** धनराशि आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही हैः–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन / समायोजन अनुमन्य नही होगा।
2. कम्प्यूटरों का क्रय (प्रिंटर एवं यू.पी.एस. सहित) निर्धारित धनराशि ₹50000.00 (₹पचास हजार प्रति कम्प्यूटर प्रिटंर एवं यू.पी.एस. सहित) के अन्तर्गत की जायेगी। इससे अधिक का व्यय किसी भी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगा।
3. कम्प्यूटर क्रय मद में स्वीकृत धनराशि का आहरण / व्यय सम्बन्धित वित्तीय हस्त–पुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2008 एवं संशोधित नियामावली, 2015 के प्राविधानों के अन्तर्गत तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों एवं केन्द्रीय क्रय समिति की संस्तुति के अनुसार नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।
4. कम्प्यूटर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग द्वारा एक केन्द्रीय क्रय समिति का गठन किया जायेगा, जिसके अध्यक्ष, निदेशक पंचायतीराज होंगे।
5. कम्प्यूटर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिशिचित किया जाय तथा कम्प्यूटरों के क्रय तथा स्थापना आदि के सम्बन्ध में यदि कोई अनियमितता संज्ञान में आती है तो उसके लिए केन्द्रीय क्रय समिति के अध्यक्ष, (निदेशक, पंचायतीराज उत्तराखण्ड) का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।
6. कम्प्यूटर क्रय करने एवं धनराशि आहरण करने की कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस ग्राम पंचायत के लिए कम्प्यूटर क्रय किया जा रहा है वहाँ विद्युत आपूर्ति है तथा कम्प्यूटर का संचालन के लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान / उप ग्राम प्रधान में से कोई सक्षम हो। यदि कम्प्यूटर आपूर्ति के पश्चात उसे क्रियाशील नही किया

T.P.O.

जाता है तो उसके खराब होने की सम्भावना है। अतः कम्प्यूटर की आपूर्ति के पूर्व ही उसे क्रियाशील किये जाने की पूर्ण व्यवस्थाऐं सुनिश्चित कर ली जाय।

7. कम्प्यूटर को संचालन करने के लिए किसी अन्य कर्मचारी की नियुक्ति नही की जायेगी। इसे संचालन करने की जिम्मेदारी ग्राम–सभा की होगी तथा राज्य वित्त आयोग व 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित कन्टीजैन्सी की धनराशि से ही कम्प्यूटर संचालन कार्य तथा पंचायतों के लेखों का रख–रखाव व जन्म प्रमाण–पत्र, मृत्यु प्रमाण–पत्र तथा परिवार रजिस्टर की नकल आदि पर आने वाला व्यय वहन किया जायेगा।
8. एक ग्राम पंचायत में केवल एक ही स्रोत से कम्प्यूटर क्रय किया जायेग। अर्थात जिस ग्राम पंचायत में 14वें वित्त आयोग अथवा अन्य स्रोंतो से कम्प्यूटर स्थापित कर दिये गये हों, उन ग्राम पंचायतों में पुनः राज्य वित्त की धनराशि से कम्प्यूटर क्रय नहीं किया जायेगा।
9. कम्प्यूटर का मूल्य उचित होने के सम्बन्ध में आश्वस्त होने पर ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। कम्प्यूटर की गुणवत्ता उच्च कोटी तथा दरें युक्तियुक्त होनी चाहिए।
10. वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही आगामी वित्तीय वर्ष के लिए धनराशि अवमुक्त की जायेगी। **उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत प्रमाण–पत्र इस आशय के साथ संलग्न करना होगा कि उनकी ग्राम पंचायत में कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण (यू.पी.एस. एवं प्रिटंर सहित) स्थापित कर दिया गया है व कम्प्यूटर सही स्थिति में कार्य कर रहा है।**
11. अवमुक्त की जा रही धनराशि व्यय करने से पूर्व निदेशक, पंचायतीराज द्वारा उन ग्राम पंचायतों की जनपदवार, विकास खण्डवार, वर्षवार एवं स्रोतवार सूची उपलब्ध करानी होगी, जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक अन्य स्रोतों से कम्प्यूटर स्थापित करा दिये गये है।
12. वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं आगामी वित्तीय वर्षो में जिन ग्राम पंचायतों हेतु कम्प्यूटर क्रय किये जाने प्रस्तावित है, कय करने से पूर्व ग्राम पंचायतवार, विकास खण्डवार एवं जनपदवार सूची वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) को उपलब्ध करानी होगी तदोपरान्त ही कम्प्यूटर का संयोजन सम्बन्धित ग्राम पंचायत में किया जायेगा।
13. ग्राम पंचायतों में ई–पंचायत साफ्टवेयर प्रणाली /संयोजकता भारत सरकार द्वारा प्रायोजित नेशनल इन्फौर्मेटिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अन्तर्गत की जानी प्रस्तावित है इसलिए प्रशासनिक विभाग एवं निदेशक, पंचायतीराज इस विषय पर निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र तथा सूचना प्रौद्योगिक विभाग से विचार–विमर्श करेंगे। विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर आधारित सी0एस0सी0 केन्द्रों को भी उपयोग में लाने का प्रयास किया जायेगा।
14. **14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत जिन ग्राम पंचायतों को ₹2.00 लाख से कम की धनराशि प्राप्त हो रही है, ऐसी ग्राम पंचायतों में प्रथम चरण अर्थात् वर्ष 2017–18 में ₹50,000 की दर से 1308 कम्प्यूटर स्थापित करने हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही इसलिए इसका परिपालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।**
15. अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरण करने हेतु बिल निदेशक, पंचायतीराज द्वारा तैयार कराये जायेंगे जिसे जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।
16. अवमुक्त की जा रही धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।
17. उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे तथा निदेशक, पंचायतीराज से प्रतिहस्ताक्षर कराते हुए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

उत्तराखण्ड, सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन व सचिव, पंचायतीराज उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके साथ संयोजित किये गये कम्प्यूटरों की सूची ग्राम पंचायतवार उपलब्ध करानी होगी।

18. अलोटमेन्ट आई.डी संलग्न है।

3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02–पंचायती राज संस्थायें–196–जिला पंचायतें/परिषदें–04–राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(एल.एन पन्त)
अपर सचिव।

संख्याः–07/(वि.आ.निदे.) 107 /XXVII (1)/2017, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) ओबेरॉय बिल्डिग, सहारनपुर रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल उत्तराखण्ड ।
4– निदेशक, कोषागार एवं लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, 223 विश्वकर्मा भवन, उत्तराखण्ड शासन।
7– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी/देहरादून कोषागार देहरादून, उत्तराखण्ड ।
8– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड ।
9– निजी सचिव, मा0 पंचायतीराज मंत्री, मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
10– समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

(एल.एन.पन्त)
अपर सचिव।